रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2001/अग्रहायण 29, 1923

No. 630] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2001/AGRAHAYANA 29, 1923

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 908(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं सा.का.नि. 358(अ) तारीख 16 मई, 2001 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 16 मई, 2001 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 17 मई, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (नवां संशोधन) नियम, 2001 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में,—

   (i) नियम 32 में,

   (अ) खंड (ख) में, पांचवें परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि सभी शाकाहारी खाद्यों के लिए,—

(क) यह उपदर्शित करने के लिए कि उत्पाद शाकाहारी खाद्य है इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार अनुबंधित प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जाएगी। इस प्रतीक में हरे रंग से भरा हुआ वृत्त होगा जिसका व्यास नीचे दी गई तालिका में विहित न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा जो वृत्त के व्यास के दुगने किनारे वाली हरे रंग की बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए, जैसा कि नियम 42 के उपनियम (यययय) के खंड (17) में उपदर्शित है,

3884 GI/2001

सारणी

[illegible] प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र	[illegible]
2	
100 से.मी. के वर्ग तक	
100 से.मी. वर्ग से ऊपर	
500 से.मी. वर्ग तक	
500 से.मी. वर्ग से ऊपर	
2500 से.मी. वर्ग तक	6
2500 से.मी. वर्ग से ऊपर	8

(ख) यह प्रतीक,—

(i) मुख्य प्रदर्शन पैनल पर विषम पृष्ठ भूमि वाले पैकेज

(ii) उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल निकट और

(iii) [illegible] आशानों पम्फलेटों, इश्तहारों, [illegible] माध्यम आदि के विज्ञापनों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंध किसी ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ की बाबत लागू नहीं होंगे जो खाद्य अपमिश्रण निवारण (नवां संशोधन) नियम, 2001 के प्रारंभ से पूर्व प्रतीक के बिना विनिर्मित और पैक किया गया है :

परन्तु यह भी कि इन नियमों के उपबंध खनिज जल या पैक किए हुए पेय जल या कार्बोनेटिड जल या तरल और चूर्णित दुग्ध की बाबत लागू नहीं होंगे :

(आ) स्पष्टीकरण IX के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण X "शाकाहारी खाद्य" से इन नियम के स्पष्टीकरण IX में तथा परिभाषित माँसाहारी खाद्य से भिन्न कोई खाद्य वस्तु अभिप्रेत है;

II. नियम 42 के उपनियम (य य य) में, खंड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(17) शाकाहारी खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य पदार्थ के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल निकट मुख्य प्रदर्शन पैनल पर हरे रंग में निम्नलिखित प्रतीक होगा, अर्थात्:

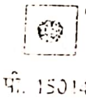"

[सं. पी. 15014/2/2001-पी एच(खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का.नि.आ. 2105 तारीख 12-9-1955 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 में प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार सा.का.नि. [illegible] तारीख 11-12-2001 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2001

G.S.R. 908(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of Section 23 of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), in the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) number G.S.R. 358(E), dated the 16th May, 2001 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th May, 2001 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said draft rules was published were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the Public on the 17th May, 2001;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely;

RULES

3. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (9th Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force after six months from the date of its publication in the Official Gazette.

4. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—(I) in rule 32,-

(A) in clause (b), after the fifth proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided also that for all Vegetarian Food,-

(a) a declaration to this effect shall be made by a symbol and colour code so stipulated for this purpose to indicate that the product is Vegetarian Food. The symbol shall consist of a green colour filled circle, having a diameter not less than the minimum size specified in the Table given below, inside the square with green outline having side double the diameter of the circle, as in [illegible] [illegible] (17) of sub-rule (ZZZ) of rule 42;

TABLE

Sl. No.	Area of principal display panel	Minimum size of diameter in mm
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 cms square	3
2.	Above 100 cms square upto 500 cms square	4
3.	Above 500 cms square upto 2500 cms square	6
4.	Above 2500 cms square	8

(b) the symbol shall be prominently displayed, -

(i) on the package having contrast background on principal display panel, (ii) just close in proximity to the name or brand name of the product, and (iii) on the labels, containers, pamphlets, leaflets, advertisements in any media :

Provided further that the provisions of these rules shall not apply in respect of any Vegetarian Food which is manufactured and packed without the symbol before the commencement of the Prevention of Food Adulteration (9th Amendment) Rules, 2001:

Provided also that the provisions of these rules shall not apply in respect of mineral water or packaged drinking water or carbonated water or liquid and powdered milk

(b) after Explanation IX, the following Explanation shall be inserted, namely :-

'Explanation X - "Vegetarian Food" means any article of Food other than the Non-Vegetarian Food as defined in Explanation IX of this rule'.

(II) in rule 42, in sub- rule (ZZZ), after clause (16), the following clause shall be inserted, namely :-

"(17) Every package of Vegetarian Food shall bear the following symbol in green colour on the principal display panel just close in proximity to name or brand name of the Food, namely: -

"

[No. P-15014/2/2001-PH(Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note: — The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 895(E) dated 11-12-2001.

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड ए/डी

सूचना– आवेदन

प्रति ,

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर, म.प्र.
2. श्रीमान आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम, सागर, म.प्र.
3. श्रीमान अध्यक्ष एवम अधिशासी अधिकारी महोदय, छावनी परिषद, सागर, म.प्र.
4. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सागर, म.प्र.

विषय . मांस सामग्री विक्रय की अवैध दुकानो को बन्द कराने बाबत।

संदर्भ – रिट पिटीशन 15787/2005, माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय, म.प्र. का आदेश दि. 30/1.08 के परिपालन के संदर्भ सहित ।

महोदय,

निवेदन है कि आप सभी उपरोक्तजनों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, मांस सामग्री की अवैध बिक्री खुलेआम हो रही है । जिसमें बकरा, मुर्गा, मछली, झींगा, अण्डा आदि मांसाहार सामग्री सम्मिलित है। जिसकी शिकायत समय-समय पर जनता की ओर से आपको की गई । किन्तु आपके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, मांस सामग्री के विकय की अवैध दुकानें, आज दिन तक भी खुलेआम संचालित हो रही हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के संदर्भित आदेश के तारतम्य में भी, यह आपका वैधानिक कर्तव्य है कि बिना लाइसेन्स एवम् अवैध स्थानों पर संचालित ऐसी सभी दुकानों व विकय केन्द्र आप बन्द करावें ।

आपसे अनुरोध है कि आपके अधिकार क्षेत्र में संचालित मांस सामग्री की बिना लाइसेन्स एवम् अवैध स्थानों पर संचालित दूकानों को तत्काल बन्द कराने की कृपा करें। [redacted]

विशेष ध्यानाकर्षण – राधा तिराहा डिम्पल पम्प रोड पर , मकरोनिया क्षेत्र, राहतगढ बस स्टेण्ड मोती नगर , झांसी बस स्टेण्ड केन्ट सदर बाजार , सिविल लाइन आदि स्थानो पर खुलेआम मांस सामग्री का अवैध विकय हो रहा हैं

संलग्न – 1. राधा तिराहा डिम्पल पम्प रोड पर संचालित कुछ अवैध दुकानो का एक ताजा चित्र
2. मकरोनिया क्षेत्र में संचालित अवैध दुकान का एक ताजा चित्र
3. झांसी बस स्टैण्ड , केन्ट अस्पताल के सामने सदर बाजार केन्ट क्षेत्र में संचालित कुछ अवैध दुकानो का एक ताजा चित्र
4. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. रिट पिटीशन 15787/05 के आदेश दिनाक 30.1.08 के आदेश की फोटों कापी

प्रतिलिपी – आप सभी अधोवर्णितजनो को कार्यवाही हेतु एवम सूचनार्थ

1.सचिव, नगरीय प्रशासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2.श्रीमान रक्षा मंत्री महोदय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली
3.श्रीमान सचिव महोदय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली
4.म.प्र. राज्य मार्फत सेकेटी डिपार्टमेन्ट आफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर सेकेट्रियेट भोपाल
5.सचिव, गृह मंत्रालय, म.प्र ,वल्लभ भवन –भोपाल

सागर दिनांक [illegible]03.2013

आवेदक
मनीष जैन
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, सागर

Scanned by CamScanner

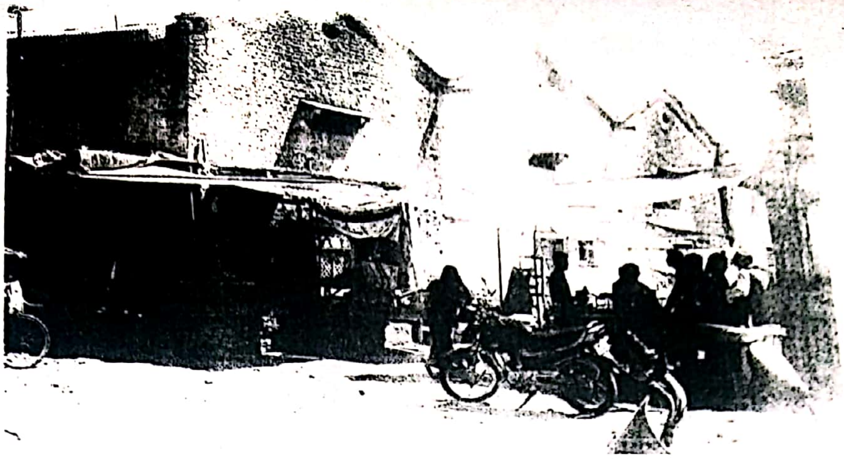

राधा तिराहा डिम्पल पम्प रोड पर संचालित कुछ अवैध दुकानो का एक ताजा चि

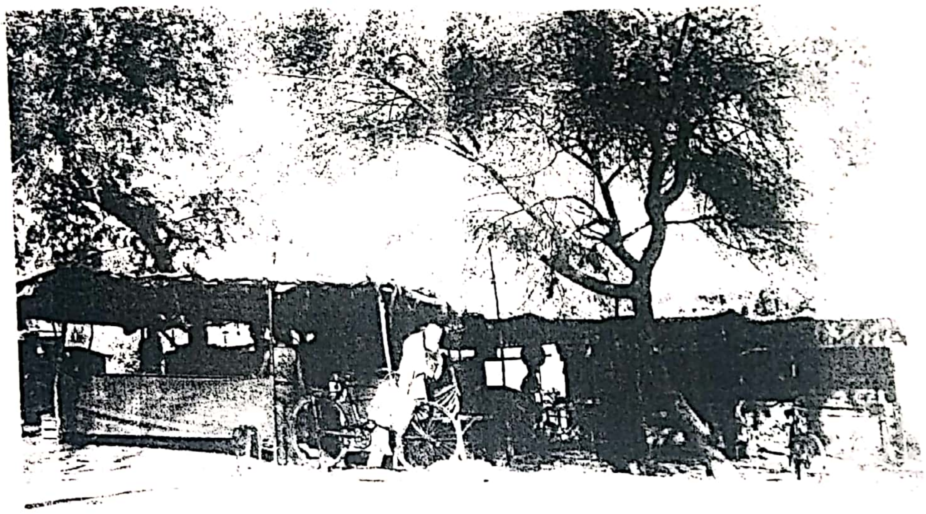

मकरोनिया क्षेत्र मे संचालित अवैध दुकान का एक ताजा चित्र

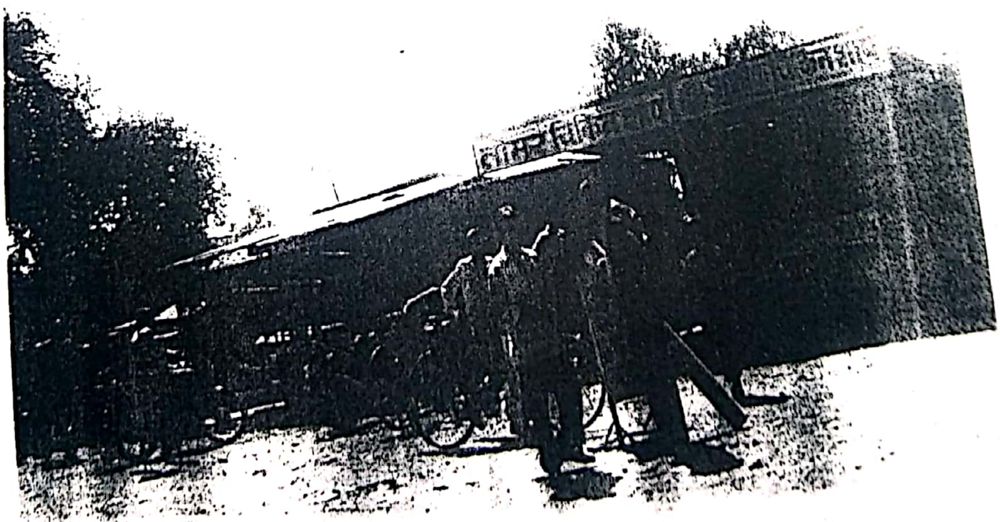

झांसी बस स्टैण्ड , केन्ट अस्पताल के सामने सदर बाजार केन्ट क्षेत्र मे संचालित
अवैध दुकानो का एक ताजा चित्र

Scanned by CamScanner